न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 724 / 2022
अनवान : –

1. जगराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 130 / 127 की कुल 12.8520 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि में वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेजात जगराम पुत्र काशीराम है। वादी मुताबिक दस्तावेजाता अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का जगराम पुत्र काशीराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम दर्ज है जो की गलत है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः राजस्व रिकार्ड वादी का नाम जगमाल के स्थान पर जगराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 130 / 127 की कुल 12.8520 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वाद का नाम जगमाल पुत्र काशीराम दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैनकार्ड आदि में वादी का जगराम पुत्र काशीराम दर्ज है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 130/127 की कुल 12.8520 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम के स्थान पर जगराम पुत्र काशीराम** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगमाल पुत्र काशीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/6/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 724 / 2022
अनवान : –

1. जगराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 724 सन 2022 निर्णय दिनांक -27/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता स0 130 / 127 की कुल 12.8520 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में **वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम के स्थान पर जगराम पुत्र काशीराम** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगमाल पुत्र काशीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगमाल पुत्र काशीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 27/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर